भारत और केपटाउन कन्वेंशन

[स्रोत: बिज़िनेस](#) स्टैण्डर्ड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत के विमानन ढाँचे को मज़बूत करने** और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के क्रम में **विमानन वस्तुओं में हितों के संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक** को मंज़ूरी दे दी है।

- इसका उद्देश्य **कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट (केप टाउन कन्वेंशन), प्रोटोकॉल ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट (केप टाउन प्रोटोकॉल)** के प्रावधानों को अनुमोदित एवं लागू करना है।

केप टाउन कन्वेंशन (CTC):

- **परिचय:**
  - CTC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत **ऋणदाताओं** (जैसे पट्टादाता, उधारदाता और वित्तपोषक) को विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी **उच्च मूल्य वाली मोबाइल परिसंपत्तियों** के अधिग्रहण की अनुमति (यदि **एयरलाइन द्वारा पट्टा भुगतान में चूक की जाती है)** दी गई है।
  - इसे **वर्ष 2001 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका** में अपनाया गया था।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री: मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिये** एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ **पारदर्शिता सुनिश्चित करना** एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों को प्राथमिकता देना।
  - **डिफॉल्ट उपचार: ऋणदाताओं के लिये स्पष्ट उपचार** प्रदान करना, जिसमें जटिल स्थानीय विधिक प्रक्रियाओं के बिना विमान का पंजीकरण रद्द करना तथा निर्यात करना शामिल है।
- **केप टाउन प्रोटोकॉल:** CTC के पूरक के रूप में इसके तहत **विमान वित्तपोषण और पट्टे के लिये विशिष्ट नियम** निर्धारित किये गए हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत **ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर** किये थे लेकिन **अभी तक इसकी पुष्टि नहीं** की है, इसलिये इस कन्वेंशन के प्रावधान **भारत पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं** हैं।
- अमेरिका और चीन के बाद **भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार** है।

और पढ़ें: [भारत का विमानन उद्योग](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-to-ratify-cape-town-convention